परिशिष्ट-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 710

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत किस माध्यम से प्राप्त हुई	किस विषय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई (अवैध रेत परिवहन/अन्य खनिज अवैध परिवहन/अवैध नाका	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही	क्या शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए गये	रिमार्क
1	17/06/2024	माननीय विधायक श्री मुरली भंवरा	लिखित	अवैध नाका	विधानसभा क्षेत्र बागली के धनतालाब से अवैध खनिज नाको को हटाने के संबध में।	उक्त शिकायत के संबंध में जांच कराई गई जांच अनुसार देवास जिले में संचालित रेत नाके धनतालाब दीपगांव भौरासा को बंद किये जाने हेतु सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 839 दिनांक 26/07/2024 से पत्र जारी किया गया।	नहीं	शिकायतकर्ता जांच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं होने से बयान दर्ज नहीं किये गये।
2	22/11/2024	श्री चंचल कुमार भारती	लिखित	अवैध रेत परिवहन	खातेगांव के तमखान नर्मदा घाट से अवैध परिवहन के संबंध में।	उक्त शिकायत की जांच की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर खनिज नियमानुसार 25000 राशि वसूल की गई।	नहीं	शिकायतकर्ता जांच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं होने से बयान दर्ज नहीं किये गये।
3	01/9/2025	श्री अकबर पिता गब्बू खां	लिखित	अवैध रेत परिवहन	माँ नर्मदा के तमखान घाट पर अवैध उत्खनन होने के संबंध में।	उक्त शिकायत की जांच की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है।	हाँ	-

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

4	02/01/2026	माननीय विधायक डॉ. श्री हीरालाल अलावा	लिखित	अवैध नाका	देवास जिले में संचालित खनिज जांच नाके के संबंध में।	माननीय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 132 दिनांक 21/01/2026 से सूचना पत्र जारी किया गया एवं प्रथम दृष्टता जांच में ये पाया गया की मौके पर कोई भी अवैध वसूली करते हुये नहीं पाया गया। शिकायत में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से शिकायत निरधार पाई गई।	नहीं	शिकायतकर्ता जांच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं होने से बयान दर्ज नहीं किये गये।

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

Scanned with CamScanner

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स - 0755-2551795
E-mail - dirgeomn@nic.in

क्रमाँक – 13130 भोपाल, दिनाँक – 04/10/23

प्रति,

कलेक्टर
जिला – .....
मध्यप्रदेश।

विषय :– जाँच चौकियों की स्थापना और अभिवहन किए जा रहे खनिजों का तोलन तथा निरीक्षण बाबत्।

संदर्भ :– राज्य खनिज निगम लिमिटेड का प्रस्ताव दिनाँक 29/09/2023 एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 08/04/2022 में प्रकाशित नियम 7.

संदर्भित विषयांतर्गत प्रदेश में रेत धारित जिलों में रेत खदान समूहों की ई–निविदा सह नीलामी में 42 जिलों में से 33 जिलों में सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. चयनित किये जा चुके हैं तथा म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं जिला स्तर से अनुबंध निष्पादन कराया जा चुका है एवं चयनित सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर), म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं संबंधित कलेक्टर से त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। ई–निविदा सह नीलामी उपरांत सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. द्वारा रेत खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु रेत खनिज जाँच नाकों को स्थापित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 7 में जाँच नाकों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित हैं :–

"जाँच चौकियों की स्थापना और अभिवहन किए जा रहे खनिजों का तोलन तथा निरीक्षण – (1) यदि राज्य सरकार विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण पर रोक लगाने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह लिखित में आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या किन्हीं स्थानों पर जाँच चौकियां स्थापित करने का निर्देश दे सकेगी। किसी जाँच चौकी के स्थापित किए जाने को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा:

परन्तु जिले में किसी भी स्थान पर जाँच हेतु संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा अस्थाई व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए राजपत्र में किसी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी।"

अतः उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आप जिले के सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. के प्राप्त आवेदन एवं अन्य सुझाव अनुसार रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण की रोकथाम हेतु जिले में स्थान चिन्हित कर अस्थाई जाँच चौकियाँ स्थापित करने के संबंध में परीक्षण कर समुचित कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

4/10/23
संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

(प्रवेश पन्द्रे)
अवर सचिव 2
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग